अति–आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
एल.एम. बंध कार्यालय परिसर,शास्त्री नगर, दिल्ली–110031
दूरभाष संख्या:22424989

सं. सी.ई.एफ / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2019 / 8223-26 दिनांक 28-11-19

सेवा में

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः–विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 9 दिनांक 02–12–2019 के संबध मे।

महोदय,

आपके पत्र संख्या एफ.11(बी–1)VI/2015-20/वि.स.स./प्रश्न शाखा/ 2233 दिनांक 22–11–2019, जो कि सिंचाई एवं बाढ. नियंत्रण मंत्री के सचिव को संबोधित है, के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्त।

शिव कुमार

(शिव कुमार)
कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी

सं. सी.ई.एफ / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2019 / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –02 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, वरूणालय , फेज–II करोल बाग, नई दिल्ली –05 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली –54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक

तारांकित प्रश्न संख्या : 09

दिनांक : 02–12–2019

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री राजेश गुप्ता

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमं.	प्रश्न	उत्तर
क)	प्रेमबाड़ी नहर पर नए छठ घाट कब तक बन जाएंगे,	प्रेमबाड़ी पुल से नजफगढ़ नाले तक पक्का घाट बनाने का कार्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य की अनुमानित कार्य अवधि अभी तय नही की गई है।
ख)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को इस हेतु निधि जारी की है,	जी हॉ। यह सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार को इस कार्य हेतु रू. 6,69,14,469/– की निधि बैंकर्स चेक द्वारा दी थी, परन्तु हरियाणा सरकार ने यह निधि पत्र दिनांक 29–19–2019 द्वारा वापस लौटा दी है।
ग)	वर्ष 2015 तक निर्मित छठ घाटो का विवरण और वर्तमान में मौजूद छठ घाटों की संख्या,	वर्ष 2015 में इस विभाग द्वारा 03 (तीन) अस्थाई छठ पूजा घाटों का निर्माण कराया। जबकि 01 (एक) स्थायी घाट अन्य विभाग द्वारा पहले से ही निर्मित था। वर्तमान वर्ष 2019 में भी उपरोक्त घाटों पर कार्य कराया गया है।
घ)	पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पर्याप्त छठ घाट न बनवाए जाने के कारण, और	छठ घाटों की संख्या व स्थान का निर्धारण श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रिय विधायक की अनुशंसा पर किया जाता है।
ड.)	छठ घाटों के निर्माण के लिए कौन–सी सरकार, राज्य/केंद्र उत्तरदायी है?	दिल्ली में छठ घाटो के निर्माण का कार्य दिल्ली सरकार द्वारा कराया जाता है।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

नोडल अधिकारी (सि.एवं.बा.नि.वि.)

तारांकित प्रश्न संख्या – 9 दिनांक 02–12–2019

पूरक सामग्री

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार हैदरपुर नहर के पास की भूमि पर अस्थाई छठ पूजा घाटों का निर्माण कार्य करता है । अस्थाई घाटों के निर्माण पर किए जाने वाले व्यय को कम करने के लिए माननीय विधायक श्री राजेश गुप्ता , वजीरपुर विधानसभा, माननीय विधायिका श्रीमती वन्दना कुमारी, शालीमार बाग विधानसभा , की मांग पर निम्नलिखित पक्के घाटों के निर्माण के लिए हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजा गया , (अनुलग्नक–क) ।

1– पक्के छठ घाट का निर्माण आर डी 53350 से 55805 (एच टी पी से हैदरपुर रोड़)

2– पक्के छठ घाट का निर्माण आर डी 59300 से 64695 (दिल्ली सब ब्रांच)

3– पक्के छठ घाट का निर्माण आर डी 64695 से 73100 (प्रेम बाड़ी पुल से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन)

उपरोक्त कार्यों की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति नियत प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी की गई , जिसमें वित्त विभाग, दिल्ली सरकार की सलाह के अनुसार समझौता ज्ञापन (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार एवं सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार) का प्रावधान था (अनुलग्नक –ख) । उपरोक्त क्रम में समझौता ज्ञापन की शर्तें, अधिशासी अभियंता, हरियाणा सिचांई विभाग की सहमति से तय की गई (अनुलग्नक –ग) । बाद में हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर करने में असमर्थता व्यक्त की तथा इसका कारण उन्होंने भूमि प्रयोग में बदलाव का बताया (अनुलग्नक –घ) ।

इस विषय में माननीय विधायक एव विधायिका की जल्दी कार्य करवाने तथा हरियाणा सिंचाई विभाग को स्वीकृत धनराशि निस्तारित करने की अनुनय के क्रम में पत्रावली वित्त विभाग , दिल्ली सरकार ,को माननीय मंत्री महोदय (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग) के माध्यम से भेजी गई थी , जिसमें वित्त विभाग ने अपनी अनापत्ति व्यक्त की तथा इस विषय में निर्णय, विभाग को लेने के लिए कहा (अनुलग्नक –ड.) । माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार उपरोक्त कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि हरियाणा सिंचाई विभाग को समझौता ज्ञापन पर बिना हस्ताक्षर किए बैंकर्स चैक के माध्यम से भेजी गई (अनुलग्नक –च) । हरियाणा सिंचाई विभाग ने बैंकर्स चैक इस आश्य के साथ वापिस कर दिए कि कार्य को करने की शर्तें एकतरफा हैं तथा वे हरियाणा सिंचाई विभाग को मान्य नहीं हैं (अनुलग्नक –छ) । उपरोक्त मामला माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाया गया तथा उनके निर्देशानुसार यह मामला सचिव, सिं0एवंबा0नि0 विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14–11–2019 द्वारा प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार के समक्ष जनता की आकांक्षा को देखते हुए , जनहित में समुचित निर्णय के लिए उठाया गया है (अनुलग्नक –ज) ।

शिव कुमार

शिव कुमार
नोडल अधिकारी